



महाराष्ट्र शासन

सांस्कृतिक कार्य विभाग,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी

दूरध्वनि : ०२२-२२६७२५३९

ई-मेल: mhsahityaacademy@gmail.com

ओल्ड कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, तिसरी मंजिल,

शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - ४०० ००९.

वर्ष २०२५-२६ वर्ष के लिए पुरस्कार योजना, पुस्तक प्रकाशन अनुदान, ग्रंथालय अनुदान और पत्रिका खरेदी हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष २०२५-२६ के लिए दिए जानेवाले भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी साहित्य शिखर सम्मान, अखिल भारतीय सम्मान जीवनगौरव पुरस्कार, राज्यस्तरीय सम्मान जीवनगौरव पुरस्कार, विधा पुरस्कार और पुस्तक प्रकाशन अनुदान के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जा रही हैं।

महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष स्थायी निवासी रचनाकार उपरोक्त पुरस्कार, पुस्तक प्रकाशन अनुदान के लिए प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं।

प्रविष्टियाँ, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, तिसरी मंजिल, पुराना जकात घर, विकास विभाग इमारत, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-४०० ००९ इस पते पर दिनांक ०५ मार्च, २०२६, को शाम ५.३० बजे तक स्वीकार की जायेंगी। उपर्युक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम, आवेदन पत्र www.maharashtra.gov.in और www.mahasahitya.org इस संकेतस्थल पर नवीनतम संदेश में उपलब्ध हैं।

नियम और शर्तें

वर्ष २०२५-२६ के वाङ्मय पुरस्कार के लिए दि. ०१ जनवरी, २०२२ से दि. ३१ दिसंबर, २०२४ के बीच प्रकाशित कृतियाँ स्वीकार की जायेंगी। लेखक एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते हैं। परंतु, किसी एक ही कृति को पुरस्कार देय होगा। पुरस्कार प्राप्त करने पर लेखक आगामी ३ वर्ष तक उस श्रेणी में पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ नहीं दे सकेंगे। डी.लिट, पीएचडी, एम. फिल. के शोध प्रबंध, संपादित संकलन तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र, जीवनवृत्त, पुस्तक की तीन प्रतियाँ, लेखक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष निवास का शासकीय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति/रद्द किया हुआ धनादेश के साथ प्रविष्टियाँ दिनांक ०५ मार्च, २०२६, को शाम ५.३० बजे तक स्वीकार की जाएँगी। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

दि. ०४/०२/२०२६

Sd/-

सदस्य सचिव

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी

अ) पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाते हैं।

अ.क्र.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार राशि
१)	भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी साहित्य शिखर सम्मान	रु.३,००,०००/-
अखिल भारतीय सम्मान जीवन गौरव पुरस्कार		
१)	महाराष्ट्र भारती अखिल भारतीय हिंदी सेवा पुरस्कार	रु.२,००,०००/-
२)	डॉ. राम मनोहर त्रिपाठी अखिल भारतीय हिंदी सेवा पुरस्कार	रु.२,००,०००/-
राज्यस्तरीय सम्मान जीवन गौरव पुरस्कार		
३)	छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रीय एकता पुरस्कार	रु.१,००,०००/-
४)	साने गुरुजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार	रु.१,००,०००/-
५)	पद्मश्री अनंत गोपाल शेवडे हिंदी सेवा पुरस्कार	रु.१,००,०००/-
६)	डॉ.उषा मेहता हिंदी सेवा पुरस्कार	रु.१,००,०००/-
७)	गजानन माधव मुक्तिबोध मराठी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार	रु.१,००,०००/-
८)	कांतिलाल जोशी इतरहिंदी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार	रु.१,००,०००/-
९)	व्ही.शांताराम ललित कला हिंदी विशिष्ट सेवा पुरस्कार	रु.१,००,०००/-
१०)	सुब्रह्मण्य भारती हिंदी सेतु विशिष्ट सेवा पुरस्कार	रु.१,००,०००/-
विधा पुरस्कार		
१)	संत नामदेव पुरस्कार - (काव्य क्षेत्र)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
२)	जैनैंद्र कुमार पुरस्कार - (उपन्यास क्षेत्र)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
३)	मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार - (कहानी)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
४)	आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार - (निबंध)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
५)	आचार्य नंददुलारे वाजपेयी पुरस्कार - (समीक्षा)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-

६)	मामा वरेरकर पुरस्कार - (अनुवाद)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
७)	होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार - (वैज्ञानिक तकनीकी)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
८)	पं.महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार - (हिंदी भाषा संबंधी लेखन)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
९)	विष्णुदास भावे पुरस्कार - (नाटक)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
१०)	काका कालेलकर पुरस्कार - (जीवनी - परक साहित्य)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
११)	बाबुराव विष्णु पराडकार पुरस्कार - (पत्रकारिता-कला)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
१२)	सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार - (बाल साहित्य)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
१३)	फणीश्वरनाथ 'रेणु' पुरस्कार - (लोकसाहित्य)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-
१४)	शशिभूषण वाजपेयी हिंदी लेखक पुरस्कार (राष्ट्रभक्ति पर आधारित लेखन)	स्वर्ण-रु.७५,०००/-
		रजत-रु.५०,०००/-
		कांस्य-रु.२५,०००/-

सम्मान तथा विधा पुरस्कार योजना के लिए योग्यता :

१. भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी भाषा शिखर सम्मान:-

- हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रदीर्घ समय से हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष योगदान रहा हो, ऐसे मराठी भाषी वरिष्ठ साहित्यकार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा ।
- इस पुरस्कार के लिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान, वरिष्ठ व्यक्ती और अकादमी सदस्य वरिष्ठ मराठी भाषी हिंदी लेखकों का नामनिर्देशन और शिफारस कर सकते है।
- पुरस्कार के लिए विचारधीन साहित्यकार / लेखक का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष का निवास आवश्यक है । **१५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) अनिवार्य हैं ।**
- इस पुरस्कार के लिए विचाराधीन साहित्यिक का हिंदी साहित्य क्षेत्र में कर्तृत्व वादातीत होना आवश्यक है ।
- जिन साहित्यकार /लेखकों को हिंदी अकादमीद्वारा **अखिल भारतीय सम्मान जीवन गौरव पुरस्कार** प्राप्त हुआ है, वह साहित्यकार / लेखक ३ साल तक इस पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे ।
- जिन साहित्यकार / लेखकों को हिंदी अकादमीद्वारा **राज्यस्तरीय सम्मान जीवन गौरव पुरस्कार** प्राप्त हुआ है, वह साहित्यकार / लेखक ५ साल तक इस पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे ।

२. जीवन गौरव पुरस्कार:-

हिंदी साहित्य जगत में प्रदीर्घ समय से हिंदी भाषा के विकास - उत्थान के लिए जिनका विशेष योगदान रहा हो, ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । हिंदी भाषा में महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना करने वाले लेखक/साहित्यकार इस पुरस्कार को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं ।

- पुरस्कारार्थी का साहित्यिक क्षेत्र में श्रेष्ठत्व सिद्ध होना चाहिए।
- राज्यस्तरीय सम्मान जीवन गौरव पुरस्कार के लिए पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष का निवास आवश्यक है । **१५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) अनिवार्य हैं ।**

३. विधा पुरस्कार :-

- काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी-परक साहित्य, लोक साहित्य, बाल साहित्य, समीक्षा, पत्रकारिता-कला, अनुवाद, हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य, हिंदी भाषा, भाषा-शास्त्र तथा व्याकरण सम्बन्धी लेखन इत्यादि विविध स्वरूप में गत ३ वर्ष में (दि. ०१ जनवरी, २०२२ से दि. ३१ दिसंबर, २०२४) प्रकाशित कृतियों को इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा ।
- विधा पुरस्कार के लिए पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष से निवास आवश्यक है । १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) अनिवार्य हैं ।

जीवन गौरव सम्मान तथा विधा पुरस्कार योजना के नियम :

- पुरस्कारार्थी का हिंदी साहित्य क्षेत्र में कर्तृत्व होना आवश्यक है।
- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष का निवास आवश्यक है ।
- लेखक एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते हैं, परंतु, किसी एक वर्ष में एक ही कृति को पुरस्कार दिया जाएगा ।
- पुरस्कार प्राप्त करने पर लेखक आगामी ३ वर्ष तक किसी भी श्रेणी में पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ नहीं दे सकेंगे।
- साहित्यकारों के अलावा संस्था, पत्रकार या अन्य मान्यवरो द्वारा प्राप्त प्रविष्टियाँ भी विचाराधीन होंगी।
- डी.लिट, पीएचडी, एम.फिल के शोध प्रबंध, संपादित संकलन तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होंगे।
- आवेदन पत्र, जीवनवृत्त, कृति/पुस्तक की तीन प्रतियाँ, लेखक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, महाराष्ट्र राज्य में १५ वर्ष के निवास का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किए हुए धनादेश के साथ प्रविष्टियाँ दिनांक ०५ मार्च, २०२६ को शाम ५.३० बजे तक स्वीकार की जाएगी ।
- अंतिम तारीख के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सन २०२५-२६ के पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई.

विषय : ----- पुरस्कार के लिए प्रविष्टि.

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक ०४/०२/२०२६.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की पुरस्कार योजनांतर्गत में अपनी प्रकाशित कृति की ३ प्रतियाँ संलग्न प्रेषित कर रहा हूँ। एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. शीर्षक : -----

२. विधा प्रकार : -----

३. प्रकाशन अवधि : -----

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि -

१. यह मेरी मौलिक कृति है।
२. मेरी उक्त पुस्तक में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी कोई अंश नहीं है।
३. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य का निवासी हूँ।
४. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मुझे इस पुस्तक के लिए अन्य अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।
५. विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा सम्बन्धी यह शोधग्रंथ नहीं है।
६. मैंने पुरस्कार संबन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय,

(नाम-----:)

संलग्न :-

१. जीवनवृत्त
२. पुस्तक की तीन प्रतियाँ (३ प्रतियाँ)
३. १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) की छायाप्रति.
४. आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति.
५. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.

जीवनवृत्त

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

१. नाम : -----

२. जन्म तिथि : -----

३. सम्पूर्ण पत्ता : -----

४. ई-मेल : -----

५. फोन/ मो.नं. : -----

६. व्यवसाय : -----

७. शैक्षणिक अर्हता : -----

८. प्रकाशित साहित्य : -----

(सूची अलग से जोड़ सकते हैं):-----

९. अब तक प्राप्त पुरस्कारों का विवरण : -----

(सूची अलग से जोड़ सकते हैं)

१०. अन्य उपलब्धियाँ : -----

११. अन्य जानकारी : -----

(हस्ताक्षर-----)

ब) पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना :

योजना का उद्देश्य :

हिंदी भाषा में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देना, हिंदी साहित्यकारों की कृतियों को प्रकाशित करना और उस साहित्य को सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना का स्वरूप, पात्रता, नियम :

- साहित्यकारों को अकादमी कार्यालय में पूर्णतः विवरण आवेदनपत्र के साथ साहित्यिक कृति की २ प्रतियाँ स्वच्छ हस्तलिखित/ टंकित रूप में भेजना आवश्यक है।
- साहित्यकारों को पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित अंदाज खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- चुनी हुई हस्तलिखित साहित्यिक कृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन, संस्था द्वारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी। प्रकाशन की अवधि प्रकाशन संस्था द्वारा प्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान मंजूरी के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में आवश्यक है।
- साहित्यिक कृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियाँ विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित संदेश हिंदी देवनागरी लिपी में प्रकाशित करना अनिवार्य है।

इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के 'पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना' के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से किया गया है।

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यिक कृति को एक बार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे हिंदी साहित्यकार पात्र होंगे। (१५ साल का अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है।)
- किसी भी निजी संस्था, राज्य शासन और केंद्र सरकार के अनुदान से प्रकाशित होनेवाली किताब को इस योजनांतर्गत अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह अनुदान केवल मूल (Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा। पुनःमुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा।

- आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी साहित्यकार की होगी और ऐसे साहित्यकार को दिया गया अनुदान अकादमी द्वारा वापस लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस योजना के तहत अनुदान मंजूरी के लिए अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। अनुदान मंजूरी न मिलने पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और प्राप्त पांडुलिपी वापस नहीं की जाएगी।
- साहित्यक्षेत्र में निम्नलिखित साहित्य प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे -
काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी-परक साहित्य, लोक साहित्य, बाल साहित्य, समीक्षा, पत्रकारिता-कला, अनुवाद, हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य, हिंदी भाषा, भाषा शास्त्र तथा व्याकरण सम्बन्धी लेखन आदि।

अनुदान का स्वरूप :

- अकादमी की समिति द्वारा जिस साहित्य कृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्य कृति के प्रकाशन के लिए साहित्यकार द्वारा जोड़े हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित ५०% राशि अथवा रु. २५,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी, वह राशि अनुदान के स्वरूप में प्रदान की जाएगी।

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सन २०२५-२६ पुस्तक प्रकाशन अनुदान हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई.

विषय : पुस्तक प्रकाशन अनुदान के लिए प्रविष्टि.

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक : ०४/०२/२०२६.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजनांतर्गत मैं अपनी हस्तलिखित कृति की २ प्रतियाँ संलग्न प्रेषित कर रहा/रही हूँ, एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. शीर्षक : -----

२. विधा प्रकार : -----

मैं यह प्रमाणित करता/ करती हूँ कि -

१. यह मेरी मौलिक कृति है।
२. मेरी उक्त पांडुलिपि में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी कोई अंश नहीं है।
३. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य का निवासी हूँ।
४. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मुझे इस पांडुलिपि के लिए अन्य अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
५. विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा सम्बन्धी यह शोधग्रंथ नहीं है।
६. मैंने पुस्तक प्रकाशन अनुदान सम्बन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय,

(नाम-----:)

संलग्न :-

१. जीवनवृत्त
२. पांडुलिपि की दो प्रतियाँ (२ प्रतियाँ)
३. १५ वर्ष महाराष्ट्र में स्थायी निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) की छायाप्रति.
४. आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति .
५. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.
६. पुस्तक प्रकाशन खर्च अंदाजपत्रक (Estimate)

जीवनवृत्त

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

१. नाम : -----

२. जन्म तिथि : -----

३. सम्पूर्ण पत्ता : -----

४. ई-मेल : -----

५. फोन/ मो.नं. : -----

६. व्यवसाय : -----

७. शैक्षणिक अर्हता : -----

८. प्रकाशित साहित्य : -----

(सूची अलग से जोड़ सकते हैं): -----

९. अब तक प्राप्त पुरस्कारों का विवरण : -----

(सूची अलग से जोड़ सकते हैं)

१०. अन्य उपलब्धियाँ : -----

११. अन्य जानकारी : -----

(हस्ताक्षर-----)

क) ग्रंथालय अनुदान योजना

योजना का उद्देश्य :

हिंदी पुस्तकें और साहित्य के माध्यमद्वारा हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार होने की संभावना अधिक मात्रा में होने के कारण ग्रंथालयों को हिंदी किताबें खरेदी करने के लिए इस योजनातर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है।

योजना का स्वरूप और नियम :

- ग्रंथालयोंद्वारा हिंदी भाषा की पुस्तकें खरेदी करने लिए पुस्तकों की सुची देना आवश्यक है।
- पुस्तकोंकी सुची में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, साहित्य प्रकार, प्रकाशन संस्था का नाम, प्रकाशन वर्ष, और पुस्तक की किंमत आदि विवरण जोड़ना आवश्यक है।
- यह अनुदान ग्रंथालयों को केवल हिंदी भाषा के पुस्तकें खरीदी करने के लिए प्रदान किया जाएगा
- इस योजना के तहत पुस्तकें खरेदी करने के लिए नवलकथा, कविता, नाटक, निबंध, ललितकथा, विवेचन, चिंतन, साहित्यिक संपादन, उपन्यास, समीक्षा, जीवनी, बालसाहित्य, लोकसाहित्य, वैज्ञानिक तकनीकी, अनुवाद आदि साहित्य प्रकार का समावेश आवश्यक है किंतु साहित्येतर पुस्तकें जैसे: पाककृती, वैद्यकिय, अथवा शालेय पाठ्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रसे जुड़े किताबों की खरेदी के लिए अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।
- अनुदान से खरीदी किताब के पहले और अंतिम पन्नेपर निम्नलिखित मजकूर हिंदी भाषा में रबर स्टैम्प से छपवाना अनिवार्य है।

**यह किताब महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के ग्रंथालय अनुदान योजना
के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से खरेदी कि गई है।**

- जिन ग्रंथालयों को पुस्तक खरीदी करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ हो, उन संस्थाओं ने पुस्तकें खरीदी करने के बाद देयकों की झेरॉक्स प्रतियां सनदी लेखापाल के स्वाक्षरी और स्टैम्प सहित अकादमी कार्यालय को जमा करने के उपरांत ही उन ग्रंथालयों को अगले साल के लिए अनुदान की माँग की जा सकेगी।
- ग्रंथालय अनुदान के लिए पर्याप्त अनुदान उपलब्धता के अभाव में अकादमीद्वारा प्रकाशित और अकादमी के पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना में से प्रकाशित पुस्तकें पात्र ग्रंथालयों को वितरित की जाएंगी। इस संबंध में अकादमी का निर्णय अंतिम होगा।

पात्रता नियम :

- पंजीकृत संस्थाद्वारा संचालित मुफ्त सेवा प्रदान करनेवाले ग्रंथालय को ही इस योजना का लाभ मिलेगा ।
- निजी अथवा व्यावसायिक तत्त्व पर चलनेवाले ग्रंथालय इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे ।

अनुदान का स्वरूप :

- हर साल रु. २०,०००/- से रु. २५,०००/- तक मुल्य के किताबों की खरीदी के लिए यह अनुदान राशी प्रदान की जाएगी।

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सन २०२५-२६ के ग्रंथालय अनुदान हेतु आवेदन पत्र.

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई.

विषय : ग्रंथालय अनुदान के लिए प्रविष्टि.

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक ०४/०२/२०२६.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ग्रंथालय अनुदान योजनांतर्गत मैं / हमारी संस्था इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्ताव संलग्न प्रेषित कर रहा / रही हूँ। एतद् सम्बन्धी विवरण निम्ननुसार है।

१. ग्रंथालय का नाम :-----
२. ग्रंथालय का स्थापना वर्ष :-----
३. संस्था का नाम :-----
(जिसके द्वारा ग्रंथालय चलाया जा रहा है)
४. ग्रंथपाल का नाम :-----
५. ग्रंथालय सदस्य संख्या/वाचक संख्या :-----
६. सम्पूर्ण पत्ता :-----

७. ई-मेल :-----
८. फोन / मो.नं.:-----

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि -

१. मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि यह ग्रंथालय १५ वर्ष से महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत है।
२. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ की मुझे इस ग्रंथालय को अकादमी, राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
३. मैंने ग्रंथालय अनुदान सम्बन्धी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन्हें मैं मान्य करता हूँ / करती हूँ।

भवदीय,

(नाम:-----)

(रबर स्टैम्प)

संलग्न :-

१. ग्रंथालय का पंजीकृत प्रमाणपत्र.
२. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति / रद्द किया हुआ धनादेश.
३. पैन कार्ड की छायाप्रति.
४. पुस्तकों की सूची.

ड) पत्रिका खरेदी :

योजना का उद्देश्य :-

हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाएं अकादमी के खर्च से राज्य में निवासी हिंदी के विद्वानोंको, अकादमी सदस्यों को, हिंदी लेखक और पत्रकारोंको और विविध ग्रंथालयोंको भेजी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत पत्रिका भेजने हेतु महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य राज्यों से प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं के संपादक / प्रकाशकों द्वारा दि. ०५ मार्च, २०२६ तक आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।

आवेदन पत्र के लिए नियम और शर्तें निम्ननुसार हैं :-

१. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख दि. ०५ मार्च, २०२६ है।
२. एक पत्रिका की अधिकतम ५० प्रतियां मंजूर की जाएगी।
३. अकादमी द्वारा पत्रिका को मंजूरी के बाद १ वर्ष अकादमी द्वारा दिए गए साहित्यकार/ लेखक/ ग्रंथालय, अकादमी सदस्यों के पतों पर पत्रिकाएं भेजनी होगी।
४. पत्रिका प्राप्ति संबंधी संबंधित साहित्यकार/लेखक/ग्रंथालय, अकादमी सदस्यों के पुष्टी के बाद बिल की रक्कम अकादमी द्वारा अदा की जाएगी।
५. पत्रिका के चुनाव संबंधी अकादमी का निर्णय अंतिम रहेगा।

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सन २०२५-२६ पत्रिका खरेदी योजना हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मा. अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादम, मुंबई

विषय:- पत्रिका खरेदी योजना अंतर्गत पत्रिका खरेदी हेतु आवेदन.

संदर्भ:- अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञापित दि. ०४/०२/२०२६

महोदय,

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका खरेदी योजना के अंतर्गत निम्न पत्रिका खरेदी हेतु जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ।

१. पत्रिका का नाम :-----

२. प्रकार (मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक आदि) :-----

३. वार्षिक सदस्यता मूल्य :- साधारण डाक :-----

रजिस्टर डाक :-----

४. संपूर्ण पता :-----

५. ईमेल :-----

६. फोन नं./मो.न. :-----

७. GST No. :-----

भवदीय

(नाम :-----)

संलग्न :-

१. पत्रिका की एक अद्ययावत छायाप्रति
२. बैंक विवरण / कैंसल चेक कि छायाप्रति
३. पैन कार्ड कि छायाप्रति
४. आधार कार्ड कि छायाप्रति